# न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 10/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00205

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली | | रामुदेवी पत्नी हकमाराम जाति देवासी निवासी भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970**

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना

### –: निर्णय :–

दिनांकः– 10.11.2021

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीया के उसके हक में दिनांक 20.2.2013 को ग्राम भाचुन्दा खसरा नंबर 5/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमी का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रेकर्ड मंगवाया गया। अप्रार्थीया बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थीया रामुदेवी पत्नी हकमाराम, जाति देवासी निवासी भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 20.2.2013 को ग्राम भाचुन्दा के खसरा नंबर 5/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमी का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थीया को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1174 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमी पर आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित उपरोक्त आराजी पर मुकुन्दगढ के ग्रामवासियों का कब्जा है तथा पशुओं के रखरखाव में उपयोग हो रहा है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1–क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि अप्रार्थीया द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2072–75 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमी पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमी पर भी काश्त करनी होती है जो नही की गई है इस लिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नही देने पर श्रीमान के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आंवटी ने दिनांक 13.2.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया था उक्त आवंटन ग्राम भाचुन्दा पटवार हल्का भाचुन्दा के खसरा नंबर 5/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमी का आवंटन किया गया था उक्त आराजी पर आवंटी अप्रार्थीया का आदिनांक कब्जा काश्त नहीं है जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2072–75 से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमी पर मुकुन्दगढ के ग्रामवासियों का कब्जा है तथा पशुओं के रखरखाव में उपयोग हो रहा है। तथा आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमी पर काश्त करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है आवंटी का कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं है आवंटी को आंवटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इस प्रकार आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आवंटी अप्रार्थीया रामुदेवी पत्नी [illegible] जा[illegible] निवासी भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 20.2.2013 को ग्राम भाचुन्दा प[illegible] ह[illegible] भाचुन्दा के खसरा नंबर 5/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर किस्म बारानी [illegible] अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को [illegible] राज्य सरकार के हक [illegible]यचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:32:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली